कल्याण सम्बन्धी 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों की भर्ती में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय निरूपित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्रारम्भ किए गए कुछ-एक मुख्य अनुवर्ती उपाय हैं :--

(i) समूह "ग"/ "घ" पदों में नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति/बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को नामित करना;

(ii) अल्पसंख्यकों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण देने की व्यवस्था;

(iii) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भर्ती सम्बन्धी व्यापक प्रचार;

(iv) भर्ती में अल्पसंख्यक समुदाय की भर्ती पर निगरानी रखना; तथा

(v) केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना।

MERGER OF ALL INDIA AND CENTRAL SERVICES

3232. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the PRIME MINISTER b. pleased to state:

(a) whether thre is ay proposal to merge IAS, IPS and IFS into a single service;

(b) whether there is also any proposal to merge the Central Services like Indian Revenue Service, Indian Railway Service, Indian Railways Accounts Service, Indian Postal Services etc;

(c) if so, the details in this regard; arm

(d) if not, the reasons therefor stating the difficulties - in merging these services when there is common examination for recruitment to these services ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) and (b) No.

(c) Does not arise.

(d) Although a common examination is held for all these services, each of tne all-India and Central , Services has been constituted to discharge distinct and spe cialised tasks assigned to it and their merger is not possible. The common exa mination through which recruitment into these services ii affected has no direct re lation to their respective spcialised func tions and its objective is only to secure for these services the best available talent.

अगली श्रेणी में पदोन्नति हेतु तदर्थ सेवा पर विचार करना

3233. श्री कामेश्वर पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तदर्थ सेवा के संबंध में उच्चतम न्यायालय के उन विभिन्न फैसलों को देखते हुए, जिनमें यह निर्णय दिया गया है कि तदर्थ सेवा को तदर्थ क्रम में नियमित कर लिए जाने की स्थिति में अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए गिनी जाएगी, सरकार ने तदर्थ सेवा संबंधी प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वर्ष 1990 में टिप्पणी मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मुकदमेबाजी कम करने के लिए सरकार कब तक सामान्य आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) हालांकि उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनमें यह निदेश दिए गए हैं कि तदर्थ सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए की जाए, कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने ही यह कहा है कि जहां पर प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ आधार पर की जाती है तथा नियमानुसार नहीं की जाती है वहां पर बाद में सेवा के नियमित किए जाने पर, वरिष्ठता के लिए तदर्थ सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसलिए वरिष्ठता पदोन्नति के लिए सभी मामलों में तदर्थ सेवा की गणना हेतु कोई एक सामान्य नीति तय करना सम्भव नहीं हो पाया है।